न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/159/2021	08–10–2021	04–01–2023

01– शिम्भू दयाल पुत्र मूलचन्द जाति माली निवासी ग्राम मोरडी की ढाणी, नारायणपुर तहसील थानागाजी जिला अलवर (राजस्थान)

–अपीलाण्ट

बनाम

01– सरकार जर्ये तहसीलदार थानागाजी जिला अलवर।

–रेस्पौडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय उप तहसीलदार नारायणपुर तहसील थानागाजी दिनांक 08.08.2019 अन्तर्गत धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 115/2019

उपस्थितः–

01–श्री लक्ष्मणसिंह पोसवाल –वकील अपीलाण्ट
02–श्री दीपक मीना –राजकीय अभिभाषक

–:निर्णयः–

अपीलान्ट ने यह अपील उप तहसीलदार नारायणपुर, तहसील थानागाजी के आदेश दिनांक 08.08.2019 प्रकरण संख्या 115/2015 जिसके द्वारा अपीलान्ट को ग्राम मोरडी/नारायणपुर तहसील थानागाजी की आराजी खसरा नम्बर 1603 रकबा 0.05 है0 किस्म गै0मुमकिन रास्ता पर पक्की दीवार कर अतिक्रमण किये जाने पर मौके से बेदखली/निमाण कार्य को ध्वस्त किये जाने व पैनल्टी की सजा से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

वकील अपीलांट उपस्थित। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि विवादित आराजी खसरा न0 1603 रकबा 0.05 है0 किस्म गैर मुमकिन रास्ता पर संम्वत 2071 में फसल खरीफ में नाजायज कब्जा कर पक्की दीवार सीमेन्ट व पत्थर से निर्माण कर अतिक्रमण करने बाबत रिपोर्ट पेश की गयी जिस पर उप तहसीलदार नारायणपुर द्वारा दिनाक 20.01.2016 को निर्णय पारित कर बेदखली के आदेश पारित किये गये। जिसके विरूद्व न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर के यहॉ पेश की गयी, जिसका निर्णय दिनाक 12.06.2017 को पारित करते हुए अपीलान्ट की अपील खारिज की गयी। जिसके विरूद्व न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी अलवर के यहॉ द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी जिसमें न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी अलवर ने निर्णय दिनाक 08.06.2018 में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

(द्वितीय) अलवर के निर्णय दिनाक 12.06.2017 एवं उप तहसीलदार नारायणपुर के निर्णय दिनाक 20.01.2016 को निरस्त कर प्रकरण को नायब तहसीलदार नारायणपुर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि विवादित आराजी खसरा न0 1603 व अपीलान्ट की खातेदारी की आराजी खसरा न0 1526 की पुनः पैमाईश उभयपक्षो की उपस्थिति में मुस्तकिल बिन्दू से करने व मौका पर्चा तैयार कर उपस्थितगण के हस्ताक्षर कराने, यदि उक्त रकबे पर अपीलान्ट सहित अन्य का भी अतिक्रमण पाया जाता है, तो नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करने हेतु निर्णय पारित किया गया। तहत अदालत ने आलोच्य निर्णय उक्त निर्देशो की पालना किये बिना कतई मनमाने एवं विधि विरूद्व पारित किया गया है। तहत अदालत ने मिन अपीलान्ट की गैर जानकारी व गैर मौजुदगी में बिना कोई सुनवाई का अवसर दिये न्याय के सुस्थापित सिद्वान्तो के खिलाफ निर्णय पारित किया गया है। आलोच्य निर्णय में मिन अपीलान्ट को जर्ये नोटिस तलब किये जाने का उल्लेख कतई गलत किया है, मिन अपीलान्ट को कोई नोटिस प्राप्त ही नही हुआ न ही आलोच्य निर्णय में नोटिस देने की कोई तारीख दर्ज की है, तथा यह भी अंकित नही है, कि नोटिस अदम तामील में किस प्रकार से वापिस लोटे तथा न ही यह अंकित है, कि अपीलान्ट के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही किस तारीख को अमल में लाई गयी। जिससे स्पस्ट है, कि अपीलान्ट को कोई नोटिस जारी ही नही किया गया। आलोच्य आदेश में अंकित दिनाक 10.06.2019 को मौके पर गिरदावर व पटवारी द्वारा पैमाईश करने हेतु उपस्थित होने अर्थात अपीलान्ट को तलब करने के लिए कोई नोटिस अथवा सूचना मिन अपीलान्ट को नही दी गयी तथा कुल कार्यवाही अपीलान्ट की गैरमौजुदगी में एवं बिना जानकारी के की गई है। विवादित आराजी खसरा न0 1603 की दिनाक 10.06.2019 को या अन्य किसी भी दिन मौके पर आकर पटवारी हल्का व गिरदावर द्वारा कोई पैमाईश नही की गयी है, यदि अपीलीय न्यायालय के निर्देशो की पालना की जाती व अपीलान्ट को तलब किया जाता तो अपीलान्ट को उक्त कार्यवाही की जानकारी अवश्य ही होती क्योकि, अपीलान्ट उक्त आराजी खसरा न0 1603 से लगते हुए अपनी खातेदारी की आराजी खसरा न0 1526 में निर्मित रिहायशी मकान में ही परिवार सहित रह रहा है। अपीलीय न्यायालय द्वारा तहत न्यायालय को मुस्तकिल बिन्दू से खसरा न0 1603 व 1526 की पैमाईश का निर्देश दिया गया था किन्तु निर्देशो की कोई पालना नही की गयी है। अपीलीय न्यायालय द्वारा उभयपक्षो की मौजुदगी में विवादित आराजी खसरा न0 1603 के साथ खातेदारी की आराजी खसरा न0 1526 रकबा 1.21 है0 की भी पैमाईश करने के आदेश/मौका पर्चा तैयार कर उभयपक्षो के हस्ताक्षर कराने के निर्देश दिये थे, किन्तु दिये गये निर्देशो की पालना नही की गयी पारित आदेश में केवल आराजी खसरा न0 1603 की पैमाईश का उल्लेख किया है खातेदारी की आराजी खसरा न0 1526 की पैमाईश करने का कोई उल्लेख नही है। रिपोर्ट पटवारी हल्का व गिरदावर ने अपने कार्यालय में ही बैठकर रिपोर्ट तैयार की गयी है, तथा आलोच्य निर्णय उसके आधार पर कतई मनमाने व विधि विरूद्व तरीके पर पारित किया गया है। आराजी खसरा न0 1526 रकबा 1.12 है, अपीलान्ट की खातेदारी की आराजी है, जो विवादित खसरा न0 1603 से लगती हुई उसके तरफ उत्तर में स्थित है अपीलान्ट ने अपनी उक्त खातेदारी की आराजी की पैदावार फसल की सुरक्षा हेतु तरफ दक्षिण की ओर पूर्व से पश्चित पक्का डण्डा 4–5 फुट उॅचा व करीब 400 फुट लम्बा बना रखा है। जिसके उपर लोहे की रेलिग भी लगाई हुई है। तथा अपीलान्ट ने अपनी आराजी अथवा अपनी सीमा में ही अपने पशु आदि के लिए टीन तान रखी है, व भैसो की ठान आदि बना रखी है, व कडबी व ईधन रखता है, व पानी की एक बोरिग भी करवा रखी है, जिसमें बिजली कनेक्शन भी ले रखा है, व छायादार वृक्ष लगा रखे है, तथा तरफ उत्तर की ओर अपीलान्ट के पक्के मकान बने हुए है जिसमें अपीलान्ट अपने परिवार के साथ निवास कर रहा है। मकान करीब 50–60 साल पहले के बने हुए है तथा दोनो

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

तरफ यानि तरफ पश्चिम व दक्षिण की ओर पक्का डण्डा बना रखा है, जो अर्सा करीब 15 साल पुराना बनाया हुआ है तथा अपीलान्ट अपनी खातेदारी की आराजी पर अपने जायज हकूक की बिना पर काबिज रहकर उपयोग व उपभोग करता आ रहा है। अपीलान्ट ने आराजी खसरा न0 1603 रकबा 0.05 है0 पर कोई अतिक्रमण नही कर रखा है पटवारी हल्का ने मौके के खिलाफ मौका रिपोर्ट तैयार की है, तथा मौके पर किसी ने भी आकर कोई पैमाईश नही की गयी है, पारित आदेश की जानकारी अपीलान्ट पूर्व में नही थी, इस कारण से अपीलान्ट समयावधि में अपील पेश नही कर सका। इसमें अपीलान्ट की कोई लापरवाही नही है। पारित आदेश की जानकारी मिन अपीलान्ट को दिनाक 07.10.2019 को पटवारी हल्का ने बताया की मिन अपीलान्ट के खिलाफ निर्णय पारित कर बैदखली के आदेश जारी किये गये है। अपीलान्ट ने उसी रोज उप तहसीलदार नारायणपुर में जाकर जानकारी की जिस पर उसी रोज सांयकाल नकल प्राप्त हुई मिन अपीलान्ट द्वारा कानूनी सलाह–मशवरा कर आवश्यक व्यवस्था कर बिना देरी किये यह अपील पेश की है, अपीलाधीन आदेश दिनाक 08.08.2019 से सर्वप्रथम जानकारी की दिनाक 07.10.2019 तक का जो समय व्यतीत हुआ है, वह अपीलान्ट को आलोच्य आदेश की जानकारी नही होने के कारण व्यतीत हुआ है। जो कि नेकनियती व युक्तियुक्त कारण पर आधारित होने से काबिल माफी तथा मियाद में मुजरा दिये जाने योग्य है। अपील अपीलान्ट अन्दर अवधि मियाद शुमार कर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर तहत अदालत द्वारा पारित आदेश दिनाक 08.08.2019को निरस्त किया जावे।

राजकीय अभिभाषक उपस्थित। विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपील में वर्णित तथ्यो को नकारते हुए निवेदन किया है कि तहत अदालत द्वारा गैरमुमकिन रास्ता की भूमि पर अतिक्रमी का अतिक्रमण सिद्व होने पर विधिवत जॉच कर निर्णय दिनाक 08.08.2019 पारित किया गया है। प्रकरण में वर्णित आराजी की किस्म गैरमुमकिन रास्ता है, उक्त भूमि पर अतिक्रमण/विनियमन किये जाने का किसी को कोई अधिकार नही है। पारित निर्णय न्यायोचित प्रकियानुसार है, किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानूनी मियाद पर विचार किया। अपीलान्ट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.08.2019 के विरूद्व यह अपील न्यायालय हाजा को दिनाक 10.10.2019 को पेश की गयी है, जो करीब 2 माह विलम्ब सें पेश की गयी है, तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.08.2019 की जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 07.10.2019 को होना अंकित किया है। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपीलान्ट का मुख्य कथन है कि अपीलीय न्यायालय द्वारा उभयपक्षो की मौजुदगी में विवादित आराजी खसरा न0 1603 के साथ खातेदारी की आराजी खसरा न0 1526 रकबा 1.21 है0 की भी पैमाईश करने के आदेश/मौका पर्चा तैयार कर उभयपक्षो के हस्ताक्षर कराने के निर्देश दिये थे, किन्तु दिये गये निर्देशो की पालना नही की गयी पारित आदेश में केवल आराजी खसरा न0 1603 की पैमाईश का उल्लेख किया है खातेदारी की आराजी खसरा न0 1526 की पैमाईश करने का कोई उल्लेख नही है। रिपोर्ट पटवारी हल्का व गिरदावर ने अपने कार्यालय में ही बैठकर रिपोर्ट तैयार की गयी है तथा आलोच्य निर्णय उसके आधार पर कतई मनमाने व विधि विरूद्व तरीके पर पारित किया गया है। आराजी खसरा न0 1526 रकबा 1.12 है0 अपीलान्ट की खातेदारी की आराजी है, जो विवादित खसरा न0 1603 से लगती हुई उसके तरफ उत्तर में स्थित है। अपीलान्ट ने आराजी खसरा न0 1603 रकबा 0.05 है0 पर कोई अतिक्रमण नही कर रखा है पटवारी हल्का ने मौके के खिलाफ मौका रिपोर्ट तैयार की है,

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

तथा मौके पर किसी ने भी आकर कोई पैमाईश नही की गयी है, तहत अदालत की पत्रावली का अवलोकन किया गया। माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी अलवर द्वारा पारित निर्णय दिनाक 08.06.2018 के परिपेक्ष में प्रकरण में वणित आराजी खसरा न0 1603 एवं खातेदारी की आराजी खसरा न0 1526 की पैमाईश दिनाक 10.06.2019 को मौके पर उपस्थित रहने हेतु जर्ये पत्राक 36 दिनाक 17.05.2019 को शिम्भू दयाल को सूचित करने हेतु पत्र जारी किया गया, जिसकी तामील रिपोर्ट कपिल सैनी पुत्र सुरेश चन्द (पौते) को तामील करायी गयी है, जो कि नाबालिग है, तामील रिपोर्ट पुख्ता नही करायी गयी है, प्रकरण में वणित आराजी खसरा न0 1603 एवं खातेदारी की आराजी खसरा न0 1526 की पैमाईश हेतु जर्ये पत्राक 37 दिनाक 17.05.2019 को भू0 अभिलेख निरीक्षक को नियत तिथि को पैमाईश करने हेतु पांबन्द किया गया है, जिसकी पालना में दिनाक 21.06.2019 पालना रिपोर्ट पेश कर आराजी खसरा न0 1603 की पैमाईश कर अतिक्रमियो का अतिक्रमण होना अंकित किया गया है। खातेदारी की आराजी खसरा न0 1526 की पैमाईश बाबत कोई कार्यवाही नही की गयी है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है, तहत अदालत उप तहसीलदार नारायणपुर, थानागाजी द्वारा पारित आदेश दिनाक 08.08.2019 निरस्त किया जाता है, प्रकरण इस निर्देश के साथ उप तहसीलदार नारायणपुर को प्रतिप्रेषित किया जाता है, कि प्रकरण में पारित माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी अलवर द्वारा पारित निर्णय दिनाक 08.06.2018 की पालना में विवादित आराजी खसरा न0 1603 व अपीलान्ट की खातेदारी की आराजी खसरा न0 1526 की पुनः पैमाईश उभयपक्षो की उपस्थिति में मुस्तकिल बिन्दू से करने/मौका पर्चा तैयार कर उपस्थितगण के हस्ताक्षर कराने हेतु विधिवत कार्यवाही करे। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ वापिस भिजवायी जावे। पत्रावली फैशल शुमार को नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 04.01.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उत्तम सिंह शेखावत)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)